

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT)
श्रीगंगानगर
कंप न्याय चक्र 4 एल.एल.

वादपत्र सं० 51 / 2018
अनुसूति धारा 88 RTA
संपत्ति धारा 136 LRA Act.

वेदना सिंह व/० श्री सुदत्तयार सिंह, बूट सिद्ध
चक्र 4 एल.एल. तहसील-पिला गंगानगर
-वादी

vs

राज्य सरकार द्वारा कलसोलकर (राजस्थान)
श्रीगंगानगर (राज.)

-व्यतिवादी

दिनांक 4 मई 2018

॥ निर्णय ॥

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार
वापस अनिलिखत जमाबन्दी संख्या
2006-2009 के रकवात सं० 68/58 के
अनुसार मु० नं० 59 में 24.714 एकड़
में श्री सुदत्त सिंह, श्री शशीवत सिंह
श्री श्री जगदीश सिंह आदि पर श्री
सुदत्तयार सिंह के नाम पर संपूर्ण रूप से
दिए हैं. जिसमें वादी का नाम शशीवत सिंह
की एक बूट के आधार कार्ड # 8850-1860-
1202 में वादी का नाम मोहन सिंह एवं
परिवार संशाने कार्ड # 200003746457
में वादी का नाम मोहन सिंह @ शशीवत सिंह
असिद्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा उसके
नाम मोहन सिंह @ शशीवत सिंह व/० श्री
सुदत्तयार की घोषणा कर वापस अनिलि-
खत में दफ्तरी करने का निवेदन किया
गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में
जमाबन्दी संख्या 2066-2069 परिवार
संशाने कार्ड, आधार कार्ड, संपत्ति, ग्राम
पंचायत 4 एल.एल. व/० दीगावासी द्वारा
जारी प्रमाणपत्र दि० 16. मार्च 18 एवं



07

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर (राज.)

मौजूद मौखिक बयानों द्वारा जारी
लेखित प्रमाण को ग्रहण करें।

उक्त अभिलेखों से यह
लक्ष्य प्राप्त है कि वादी का
नाम मोहन सिंह एवं राणीन सिंह है
व्यापारी महाशयार सिंह की अन्य
संबन्धित पत्र का नाम मोहन सिंह है।

उक्त वाद पत्र को कार किया
जाता है एवं वादी का नाम मोहन सिंह
& राणीन सिंह आरामपुत्री महाशयार
सिंह अटल सिंह घोषित किया जाता है।
यथा लिखी जाती है।

उक्त विषय के न्यायालय
चक्र 4 एवं लु. प्र. न्यायालय में
दस्तावेज एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी किया गया।



Mohans
(यशपाल झाड़वा)
सहायक न्यायाधीश (नि.)
के. प्र. न्यायालय चक्र 4 लु. प्र.